न्यायालय– संजय कुमार राय, अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद– प्रथम, पटना
जानीपुर थाना कांड सं0– 247/2026
राज्य बनाम् बिरींद कुमार वगैरह

धारा:– 37 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. **अभियुक्त का नाम:–**
   1. **बिरींद कुमार, उम्र–26 वर्ष, पिता– दीना सिंह, पता– मोहनचक, थाना– जानीपुर,जिला– पटना।**
   2. **धर्मवीर कुमार, उम्र–24 वर्ष, पिता– उमाशंकर सिंह, पता– मोहनचक, थाना– जानीपुर,जिला– पटना।**

2. **गिरफ्तारी की तिथि:– 12.08.2026** समय **10:40** सीन– **मोहनचक, थाना– जानीपुर,जिला– पटना।**

अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि:– 13.08.2026

13.08.2026 अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित ऊपर उल्लिखित जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया।
आज अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद् द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अधीन संज्ञान लेता हुं।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक **12.08.2026** को अल्कोहल का उपभोग किया था और स्थान **मोहनचक, थाना– जानीपुर,जिला– पटना।** से पकड़ा गया। अभियुक्त की परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था। उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। जिसे सुनकर अभियुक्त/अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवचन किया है। अभियुक्त अभियुक्तों को दोषी होने के अभिवचन के परिणामों से अवगत कराया गया। किन्तु उसके बाद भी उन्होंने अपने दोषी होने का अभिवचन किया है।

चूंकि अभियुक्त / अभियुक्तों के द्वारा इस वाद में दोषी होने का अभिवचन किया है। अतः मैं प्रथमदृष्टया संतुष्ट हुं कि उसके विरुद्ध आरोप सुधारित होता है।

इसलिए प्रत्येक अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा– 37 के अधीन अभियुक्त /अभियुक्तों पर 5000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा अभियुक्त /अभियुक्तों के द्वारा उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर उसे /उन्हें 30 दिनों की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है।

अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद– 1,
पटना।

बाद में
13.08.2026 अभियुक्त/अभियुक्तों **बिरींद कुमार एवं धर्मवीर कुमार** के द्वारा नजारत, व्यवहार न्यायालय, पटना में रु0 5000/– (पाच हजार रु0) की अर्थदण्ड की राशि जमा करने के पश्चात् अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद– 1,
पटना।